न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती गंगाबेन पत्नि बाबूलाल, जाति गरासिया, निवासी आवल, तहसील आबूरोड़		सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यालय बस स्टेण्ड़ के पास, आबूरोड़ व अन्य – 2

उपस्थित :–

1. श्री सौहन सेन, अधिवक्ता वादीया
2. श्री जितेन्द्र सुराणा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. सरकार पैरोकार

राजस्व वाद संख्या 10 / 2023

दिनांक 28/4/2026

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीया ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188,209 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम चनार, भू.अ.नि. गिरवर, आबूरोड़ में वादीया के कब्जे , खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की निम्न खाता संख्या, खसरा संख्या व नाप की कृषिभूमि स्थित है :–

1. संवत् 2074 से 2077 की जमाबंदी रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या 94 की कृषिभूमि जिसमें वादीया का 4 / 5 हक हिस्सा है :–

	खसरा संख्या		नाप (हैक्टेयर में)
	1905		0.4679
	1917		0.6323
	1932		0.7840
कुल खसरें	0003	कुल नाप	1.8842

2. संवत् 2074 से 2077 की जमाबंदी रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या 555 की कृषिभूमि जिसमें वादीया का 11 / 32 हक हिस्सा है :–

	खसरा संख्या		नाप (हैक्टेयर में)
	1919		0.8219
कुल खसरें	0001	कुल नाप	0.8219

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.04 17:06:51 IST
Reason: SelfAttested

कि वादीया के कब्जे खातेदारी की उक्त खसरा संख्या 1905 की भूमि आवल–चनार रोड़ पर स्थित है एवं खसरा संख्या 1919 राजस्थान राज्य की सड़क पर स्थित है जिन दोनो खसरों के मध्य वादीया की उपरोक्त शेष खसरों की भूमि एवं अन्य लोगों की भूमि स्थित है। कि वादीया के उक्त खसरा संख्या 1905 की भूमि से लेकर खसरा संख्या 1919 की भूमि तक खेतीबाडी के कार्यकलाप हेतु चलने के लिए एक–डेढ़ फीट चौड़ा लोर बना हुआ था। कि वादीया के कब्जे खातेदारी के उक्त खसरा संख्या 1905 से लेकर 1919 तक की भूमि के मध्य रेवेन्यू रिकॉर्ड अनुसार मौके पर किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू रास्ता नही है और वादीया की उपरोक्त खसरों की भूमि के सीरों पर कांटो की बाड़ वगैरह की हुई है। कि कुछ लोग वादीया की लोर वाली भूमि पर लगभग

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

25–30 फीट चौड़ा करते हुए वहां से डामर रोड़ निकालने की कार्यवाही कर रहे है , वादीया द्वारा काम रोकने को कहा तो उन लोगो ने प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का हवाला देकर काम रोकने से मना किया और उन्होने प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का हवाला देकर मौके पर काम करने की बात बताई और कहा कि उक्त स्थान पर अर्थात् खसरा संख्या 1905 के पास स्थित आवल–चनार रोड़ से होते हुए खसरा संख्या 1919 के पास स्थित गुजरात सीमा तक डामर रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद वादीया द्वारा पेश किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा जवाब पेश किया गया । जिसमें अंकन है कि वादीया के खसरों की भूमि पर फसल को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुंचाई गई है, जबकि इन खसरों के पास से गुजरने वाले मार्ग पर ही सड़क निर्माण किया जा रहा है। यह कि वाद वर्णित खसरों के पास पूर्व में चले आ रहे रास्ते पर ही सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, न कि इन खसरों की भूमि पर। यह कि वादीया के स्वामित्व की भूमि पर विभाग द्वारा कोई कार्य नही किया जा रहा है, बल्कि इन खसरों के पास पूर्व में चले आ रहे रास्ते पर ही सड़क निर्माण किया जा रहा है। स्टेट के जवाब में अंकन है कि खसरा संख्या 1905 व 1919 के बीच किसी प्रकार का राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज नही है। लेकिन मौके पर कच्ची सड़क है।

वक्त बहस न्यायालय में वादीगण अधिवक्ता , प्रतिवादीगण अधिवक्ता उप.। चूंकि पत्रावली बहस हेतु नियत थी अतः पत्रावली में उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं तनकीवार निम्न निर्णय पारित किया गया :–

1. <u>आया मौजा ग्राम चनार, पटवार हल्का चनार, भू.अ.नि. गिरवर, तहसील आबूरोड़ में खाता संख्या 94 की कृषिभूमि जिसमें वादीया का 4/5 हक हिस्सा है तथा खाता संख्या 555 की कृषिभूमि जिसमें वादीया का 11/32 हक हिस्सा है ?</u> :– यह तनकी सिद्ध करने का भार वादीया पर था। संवत् 2074–2077 की जमाबंदी के खाता संख्या 94 की कृषिभूमि में वादीया का 4/5 हक हिस्सा एवं खाता संख्या 555 की कृषि भूमि में वादीया का 11/32 हिस्सा दर्ज है। अतः यह तनकी वादीया अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही।

2. <u>आया वादीया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है ?</u> :– यह तनकी सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया का कथन कि शामलाती खसरा संख्या 1905 के पास स्थित आवल–चनार रोड़ से होते हुए खसरा संख्या 1919 के पास स्थित गुजरात सीमा तक डामर रोड़ बनाया जा रहा है। स्टेट के जवाब में अंकन है कि खसरा संख्या 1905 व 1919 के बीच किसी प्रकार का राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज नही है । लेकिन मौके पर कच्ची सड़क है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया की वाद वर्णित शामलाती खसरों की भूमि पर विधिवत प्रक्रिया का पालन किए बिना और बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए सड़क निर्माण किया जा रहा है। हमने प्रतिवादीगण द्वारा कानून के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना विवादित भूमि के हिस्से पर कब्जा करने या उसका उपयोग करने का कोई औचित्य नही मिला। विधिवत कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नही किया जा सकता। तहसीलदार, आबूरोड़ के जरिये पत्रांक 147 दिनांक 13.04.2026 की रिपोर्ट में अंकन है कि इस प्रकरण में विवादित खसरा संख्या 1905 में से लगभग 6 मीटर सड़क आयी हुई है एवं खसरा संख्या 1919 में शून्य मीटर सड़क निकल रही है। अतः यह तनकी वादीया अपने पक्ष में साबित करने में आंशिक सफल रही ।

3. <u>आया वादीया के स्वामित्व की भूमि पर विभाग द्वारा कोई कार्य नही किया जा रहा है, बल्कि इन खसरों के पास पूर्व में चले आ रहे रास्ते पर ही सड़क निर्माण किया जा रहा है ?</u> :– यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे सिद्ध हो सके कि वादीया के स्वामित्व की भूमि पर विभाग द्वारा कोई कार्य नही किया जा रहा है, बल्कि इन खसरों के पास पूर्व में चले आ रहे रास्ते पर ही सड़क निर्माण किया जा रहा है। स्टेट के जवाब में अंकन है कि खसरा संख्या 1905 व 1919 के बीच किसी प्रकार का राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज नही है । लेकिन मौके पर कच्ची सड़क है। तहसीलदार, आबूरोड़ के जरिये पत्रांक 147 दिनांक 13.04.2026 की रिपोर्ट में अंकन है कि इस प्रकरण में विवादित खसरा संख्या 1905 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.04 17:06:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

लगभग 6 मीटर सड़क आयी हुई है एवं खसरा संख्या 1919 में शून्य मीटर सड़क निकल रही है।

अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे।

तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादीया के पक्ष में एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निर्णित की गई है। चूंकि प्रकरण के विवादित खसरा नंबर 1905 में से लगभग 6 मीटर सड़क आयी हुई एवं खसरा संख्या 1919 में शून्य मीटर सड़क निकल रही है। खसरा नंबर 1905 में वादीया का 4/5 हिस्सा है। अतः वादीया का वाद अंतर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीया की मौजा ग्राम चनार, पटवार हल्का चनार, भू.अ.निरीक्षक गिरवर, तहसील आबूरोड़ में शामलाती खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1905 पर बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये (भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न किये बिना) किसी प्रकार का नया निर्माण न करे, न ही वर्तमान सड़क का चौड़ीकरण करे और न ही वादिया के शांतिपूर्ण उपभोग में दखलंदाजी करें तथा शामलाती खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1905 के जितने भाग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई गई है उसका नियमानुसार मुआवजा प्राप्त करने हेतु खसरा नंबर 1905 के सहखातेदार स्वतंत्र रहेगे।

निर्णय आज दिनांक 28/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. अंशु प्रिया)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
आबूरोड़ (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.04 17:06:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकमदमें इब्तदाई
(ऑ.21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत
पीठासीन अधिकारी–डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती गंगाबेन पत्नि बाबूलाल, जाति गरासिया, निवासी आवल , तहसील आबूरोड़		सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यालय बस स्टेण्ड़ के पास, आबूरोड़ व अन्य – 2

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 10/2023
दिनांकः– 28/4/26

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्ता वादीया मीन जानिब मुदई व प्रतिवादीगण मीन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीया का वाद अंतर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीया की मौजा ग्राम चनार, पटवार हल्का चनार, भू.अ.निरीक्षक गिरवर, तहसील आबूरोड़ में शामलाती खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1905 पर बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये (भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न किये बिना) किसी प्रकार का नया निर्माण न करे, न ही वर्तमान सड़क का चौड़ीकरण करे और न ही वादिया के शांतिपूर्ण उपभोग में दखलंदाजी करें तथा शामलाती खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1905 के जितने भाग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई गई है उसका नियमानुसार मुआवजा प्राप्त करने हेतु खसरा नंबर 1905 के सहखातेदार स्वतंत्र रहेगे।

नीचे.....X-----मुतलिक.....बाबत.....X.....
खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह.....X.....
फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....
..... X.....को अदा करें।
वसीब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/4/26 को जारी की गई है।

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.04 17:06:51 IST
Reason: SelfAttested